

## 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय गंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 401/36-3-06-7(40 दे०)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय गंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक अंश पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय गंहगाई भत्ते के योग के 1/20 से कम न होनी। उपर के अनुक्रम में विम्बान्कित 58 नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को अधिकतम भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1982=100 के 522 अंकों के ऊपर तथा जुलाई 2009 से दिसम्बर, 2009के औसत 762 (सात सौ बानस मात्र) पर दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.09.2010 तक तथा जनवरी 2010 से जून, 2010 के औसत 793 (सात सौ तिसावें मात्र) पर दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 31.03.2011तक परिवर्तनीय गंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति भोजना करके देय है -

**दृष्टान्त** - रु० 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत सूचकांक 753 पर दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक देय परिवर्तनीय गंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

$$\frac{522}{793-522} \times 2600 = रु० 1349.31 \text{ प्रतिमाह}$$

522

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय गंहगाई भत्ते की दर निम्नवत् है -

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी रु० में	प्रतिमाह परिवर्तनीय गंहगाई भत्ता रूपरेखा में	
			दि० 01.04.2010 से दि० 30.09.2010 तक	दि० 01.10.2010 से दि० 31.03.2011 तक
1	2	3	4	5
1	अकुशल	2630.00	1185.40	1349.81
2	अर्द्ध कुशल	2994.00	1362.75	1533.78
3	कुशल	3290.00	1512.64	1703.03

**नियोजनों के नाम :-**

- स्वयं की विनिर्माणशाला और स्वयं उत्पाद (दाघर और ट्यूब सहित) के उद्योग
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- निष्ठा उद्योग
- वासिल पेयों (प्रेस्टेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला
- परतदार लकड़ी (स्लाईड्स) के उद्योग
- पेट्रोल और डीजल जारियल यन्त्र
- देशी और मिश्रक देशी
- सिले सिलामें कपड़ों की विनिर्माणशाला
- बींध तटबंध के निर्माण और अनुसंधान, सिंवाई परिधोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई
- एन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट फ्लौनिर्माण और प्राइवेट सावटरी सामान की दुकानों
- दलाई घर
- धातु उद्योग
- टिन प्लेट रोपिंग और टिन प्रिंटिंग
- ऐसे अनियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- धर्म शोधनशाला और धर्म विनिर्माण शाला
- धर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग
- होजरी संकर्म
- निजी पुस्तकालय
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- सम्बन्ध विनिर्माण
- धर्मशाला
- वाणिजी (कारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे गण्डों में ले जाना भी है।
- दुकान
- वाणिज्य अधिष्ठान
- घावल मिल, आटा मिल या दाल मिल

ALC/9/विद्युत  
aug 10  
25-5-16  
ACO

29. लैस मिल
30. लोक मोटर परिवहन
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने
35. दियासलाई उद्योग
36. आइसक्रीम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाला
37. बर्फ विनिर्माणशाला
38. एस्पेस्टरा सीमेन्ट बरखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला
39. लकड़ी और गुलाई अधिष्ठाण
40. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला
41. चिखन के कार्य
42. जिल्दकारी
43. फोस्फोरस
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ़ैक्ट्रीज
45. निजी प्रदर्शालय
46. सिनेमा उद्योग
47. कपड़ा छपाई
48. चित्ताई उद्योग
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी
50. प्लब
51. हथकरघा (सिल्क की राइली की बुनाई) जरी के कार्य
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रवालक विनिर्माण
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठाण
54. खाद्यसाधी
55. हथकरघा उद्योग
56. शक्ति आपूर्ति करघा उद्योग
57. छोट (नेनेएचर) बल्ब एवम् कौच उत्पादों के निर्माण
58. कागज, गारता और वेबर बोर्ड उद्योग
59. ईट मक्खन उद्योग

(विनोद शंकर मिश्र)  
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश  
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर ।

पत्र संख्या- 2290-2311 / प्रवर्तन-10(गोभत्ता)

दिनांक 28-9-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. शमस्ता क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इरा। आशय से प्रेषित कि अमीनस्थ को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा गागे जाने पर उपलब्ध कराये।
2. अनुसचिव उ०प्र० शासन श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
3. प्रचार अधिकारी को निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
4. उप श्रमायुक्त, (नजारात)की नोटिस बोर्ड पर वरसा करने हेतु।
5. उप श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
6. उप श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।

(विनोद शंकर मिश्र)  
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश  
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned at  
4/10/10